न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/160

1. रामेश्वर मित्तल पुत्र श्री दुर्गालाल मित्तल ।
2. महावीर मित्तल पुत्र श्री दुर्गालाल मित्तल ।
3. राकेश मित्तल पुत्र श्री दुर्गालाल मित्तल जाति महाजन निवासीगण सम्राट होटल के पीछे की गली, नयापुरा कोटा ।
4. श्रीमती शकुन्तला मित्तल पुत्री श्री दुर्गालाल मित्तल पत्नी श्री सुशांत प्रकाश छामूनिया, निवासनी हाल'ए–207, शिवम् एनक्लेव, बजरंग नगर, कोटा ।
5. श्रीमती मंजू मित्तल पुत्री श्री दुर्गालाल मित्तल पत्नी श्री इन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी हाल फ्लेट नम्बर 503, लाईफ स्टाईल मल्टी स्टोरी स्टेशन रोड, कोटा ।
6. श्रीमती कृष्णा मित्तल पुत्री श्री दुर्गालाल मित्तल पत्नी श्री हुकमचन्द जैन जाति महाजन निवासी सम्राट होटल के पीछे, नयापुरा कोटा हाल – 108 शिवम् एनक्लेव, फ्लेट्स बजरंग नगर, कोटा ।
7. श्रीमती किरण मित्तल पुत्री श्री दुर्गालाल मित्तल पत्नी श्री सूर्यप्रकाश गर्ग निवासी हाल अडानी पॉवर प्रोजेक्ट कॉलोनी, गोन्दिया (महाराष्ट्र) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. धनराज मित्तल पुत्र श्री दुर्गालाल मित्तल जाति महाजन आयु 64 वर्ष निवासी– 191, सिंन्धी कॉलोनी, गुमानपुरा कोटा ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विरेन्द्र राठौर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 05.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम

आलनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की कुल 11 किता की रकबा 4.21 हैक्टर आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजी लोडीलाल व दुर्गालाल जी की संयुक्त आय से आवंटन द्वारा क्रय की गई थी जिसमें 1/2 एवं 1/2 में से 1/8 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित कर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज कर उक्त हिस्से से प्रतिवादी कम 1 से 3 का नाम हटाया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर 1/2 एवं 1/2 में से 1/8 हिस्सा आराजी संयुक्त खाते से हटाई जाकर वादी के पृथक खाते दर्ज की जाकर पृथक लगान राज कायम किया जावे तथा मौके पर पत्थर गढी कराई जाकर पक्षकारों को पृथक–पृथक काबिज कराया जावे तथा इसी अनुरूप रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से की भूमि को अवैध रूप से खुर्द–बुर्द, हस्तान्तरित एवं विक्रय नहीं करे और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

3. प्रतिवादी कम 1 से 7 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण कम 1 से 7 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.05.2017 में इस आशय की सील लगी हुई है कि राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हेतु नोटिस जारी किये जावे लेकिन अपीलान्ट को लोक अदालत का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही अपीलान्ट को प्राप्त हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय नेलोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय एंव डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को लोक अदालत में पारित अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय में रीडर के द्वारा लगातार कॉज लिस्ट में आगामी पेशी का इन्द्राज किया गया और प्रार्थीगण तारीखें नोट करते रहे । दिनांक 23.02.2018 को जब पत्रावली नहीं निकली और न्यायालय के समक्ष विभाजन के प्रस्ताव की कार्यवाही लम्बित बताई गई तो पहली बार प्रार्थी अपीलान्ट को उक्त निर्णय एंव डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 ने एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था । अपीलान्ट को सम्मन जारी हुए अपीलान्ट ने वकालतनामा पेश किया था और जवाबदावा दिनांक 27.11.2017 को प्रस्तुत किया था । बिना अपीलान्ट की जानकारी के लोक अदालत में दावा डिक्री किया गया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । पत्रावली जवाबदावे हेतु नियत चली आ रही थी और जवाबदावा पेश होने के पूर्व ही दिनांक 17.05.2017 को लोक अदालल में निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को लोक अदालत का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत की जानकारी समस्त पक्षकारों को दी गई थी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है । अपीलान्ट को इत्तला हो चुकी थी उनके द्वारा वकालतनामा भी पेश किया गया था फिर भी जानबूझकर लोक अदालत में नहीं आये । वो अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा डिक्री निरस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे । अपील अवधि बाधित है, निर्णय पारित हो जाने के उपरान्त जवाबदावा पेश किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 20.04.2017 के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया है और पत्रावली में जवाबदावे हेतु दिनांक 10.05.2017 की तारीख दी गई थी । दिनांक 10.05.2017 को दिनांक 17.05.2017 की तारीख लोक अदालत के लिए नियत की गई । दिनाक 17.05.2017 को उभय पक्षकारान में से किसी भी पक्षकार की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है और लोक अदालत के नोटिस अपीलान्ट को जारी किये गये हों इसका साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और इसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा